राजस्व पर्षद, बिहार

सं0सं0–3 / बे0राज–07 / 2011– 1146 दिनांक-01-07-2016

आदेश

CWJC No- 6167/2011 कृष्णा महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–12.02.2013 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"Thus, in my view, in this summary jurisdiction of the writ proceeding the rights and liabilities of the parties cannot be decided. It is open to the petitioners to ventilate their grievances before any appropriate forum, which may be the Board of Revenue itself, which would consider that the lands were settled to the petitioners and the settlements gets itself renewed. If the Board of Revenue takes a decision not to accept the settlements then it goes without saying that all other settlements made in similar fashion without approval of Board of Revenue must be immediately investigated and necessary action without discrimination be taken to restore lands to the Estate without the settlements. That would be upon the wisdom of the Board of Revenue. If it is so made, this would not preclude the petitioners from approaching such other forum as they may be advised. It is expected that the Board of Revenue would act reasonably within a reasonable time frame".

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्याय निर्णय के आलोक में व्यवस्थापक, बेतिया राज, पश्चिम चम्पारण बेतिया से पर्षदीय पत्रांक–914, दिनांक–26.05.2016 द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन उनके मंतव्य सहित माँग की गयी।

व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया ने अपने पत्रांक–148, दिनांक–15.06.2016 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जिसके अवलोकन से विदित होता है कि तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया श्री आर.एन. पांडा के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार यथा, राजस्व पर्षद की अनुमति के याचिकाकर्त्ताओं के साथ 8–8 डिसमिल भूमि का एकरारनामा किया गया परन्तु किसी भी याचिकाकर्त्ता को बंदोबस्त भूमि पर दखल–कब्जा नहीं दिया गया। कालान्तर में भी तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा याचिकाकर्त्ताओं के साथ किये गये एकरारनामे की संपुष्टि राजस्व पर्षद से नहीं प्राप्त की गयी।

चूँकि तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया द्वारा याचिकाकर्त्ताओं के साथ 8–8 डिसमिल भूमि का एकरारनामा किये जाने के विरूद्ध उनसे सुरक्षित जमा राशि के रूप में प्रति याचिकाकर्त्ता 1,000/– (एक हजार रूपये) एवं ग्राउण्ड रेन्ट के रूप में 40/– (चालीस रूपये) प्राप्त किया गया है, अतः सभी याचिकाकर्त्ताओं को उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षित राशि एवं ग्राउण्ड रेन्ट की राशि को वापस करने का आदेश व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया को दिया जाता है।

सी.डब्लु.जे.सी.–6167/2011 कृष्णा महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के प्रभावी अंश में इस आशय का निदेश प्राप्त है कि यदि राजस्व पर्षद याचिकाकर्त्ताओं के दावे को अस्वीकृत करता है तो ऐसे सभी संबंधित समरूप मामलों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि किसी प्रकार की असमानता न रहें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त उक्त निदेश के आलोक में व्यवस्थापक, बेतिया राज बेतिया को यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्त्ताओं से संबंधित सभी

समरूप मामलों की जाँच कर अपने मंतव्य सहित प्रतिवेदन राजस्व पर्षद कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया श्री आर.एन. पांडा द्वारा इस प्रकार किये गये अनियमित बंदोबस्ती को राजस्व पर्षद द्वारा पूर्व में हीं संज्ञान में लिया जा चुका था और उनके इस अनियमित बंदोबस्ती के लिए उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए पर्षदीय पत्रांक–577 दिनांक–20.05.2011 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा पर्षद कार्यालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से पूर्व में ही की जा चुकी है। साथ ही पर्षदीय पत्रांक–690, दिनांक717.06.2011 द्वारा श्री पांडा के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए स्मारित भी किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व ही राजस्व पर्षद द्वारा याचिकाकर्त्ताओं के साथ तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया श्री आर.एन. पांडा के द्वारा किये गये अवैध बंदोबस्ती को संज्ञान में लेते हुए श्री पांडा के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी।

व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया द्वारा याचिकाकर्त्ताओं के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के साथ संलग्न सूची के अवलोकन से यह भी भी विदित होता है कि तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया श्री आर.एन. पांडा द्वारा इस हद तक बंदोबस्ती में अनियमितता की गयी कि नियमित कर्मियों के साथ–साथ वैसे आकस्मिक कर्मियों के साथ भी भूमि का आवंटन किया गया, जो बेतिया राज के नियमित कर्मी नहीं थे। बेतिया राज के कर्मियों को आवास हेतु 8–8 डिसीमल भूमि आवंटित करना लोकहित का विषय कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि बेतिया राज की भूमि बेतिया राज की है, जिसे बन्दोबस्त किये जाने का अधिकार किसी पदाधिकारी को नहीं है, सिर्फ बेतिया राज के प्रतिपाल्य अधिकरण कोर्ट ऑफ वार्डस के अंतर्गत अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना हैं।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में तत्कालीन व्यवस्थापक, श्री आर.एन. पांडा द्वारा अवैध रूप से बेतिया राज के कर्मियों को आवास हेतु आवंटित आठ–आठ डिसमिल भूमि की बन्दोबस्ती, जो उन कर्मियों के दखल कब्जा में भी नहीं है, को अमान्य करते हुए याचिकाकर्त्ताओं के दावा को अस्वीकृत किया जाता है।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशनुसार

(हस्ताक्षर) 01.07.2016
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ई-मेल
फैक्स
वेबसाइट

ज्ञापांकः–3/बे0राज–07/2011– 1146 **/पटना,दिनांकः–** 01-07-2016

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया, पश्चिम चम्पारण उपर्युक्त आदेश का पालन कर अनुपालन प्रतिवेदन राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 01.07.2016
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

OC (हस्ताक्षर) 01/7/16

D:\Kund.in\B_raj\file no_3_B_raj_074_2011 Tarkik order-30.06.2016.doc